कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 35/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री रजत कुमार खदरीया पुत्र श्री रामप्रताप जाति खदरिया निवासी वार्ड संख्या 28 नेहरू नगर, किसान धर्मकांटे के पीछे, नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

---प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः--15.06.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हनुमानगढ के जबाव से सन्तुष्ट नही है। प्रार्थी द्वारा मांगे सवाल का जबाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पास नहीं तो किस विभाग के पास इसका जबाव है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत धारा 6(3) के तहत 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग के पास भेजना अनिवार्य है। वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

प्रबन्धंक नागरिक आपूर्ति, हनुमानगढ से पत्र कमांक 130-131 दिनांक 01.06.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रबन्धक नागरिक अपूर्ति हनुमानगढ जो जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के अन्तर्गत ही कार्य करता है। प्रबन्धक नागरिक अपूर्ति हनुमानगढ के उक्त पत्र का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओ के संबंध में बिन्दु संख्या 2, 5, 8, 9 10, 11 के संबंध में सूचना दिया जाना पाया गया तथा बिन्दु संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 की सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नही है यह सूचना दिया जाना पाया गया। जबकि प्रबन्धक नागरिक अपूर्ति हनुमानगढ को चाहिये था कि वे बिन्दु संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी के आवेदन पत्र को संबंधित विभाग को अन्तरित करना चाहिये था। प्रबन्धक नागरिक अपूर्ति हनुमानगढ (जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ) को निर्देश दिये जाते है कि बिन्दु संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13 की सूचना जिस विभाग से संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी के आवेदन पत्र को उस विभाग को अन्तरित किया जावे और इसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी जावे। अतः अपीलार्थी की यह अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official